न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–09/23(225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2023/41

उनवान

1. मुकेश कुमार } पुत्र रामकिशन
2. दिनेश चन्द }
3. वेदप्रकाश }
4. इंद्रा पत्नी } स्व0 राजेन्द्र कुमार
5. कीर्ति पुत्री }

जाति ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भूदेव } पुत्र तेजा
2. दशरथ }

निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

3. रीना } पुत्रि राजेन्द्र कुमार निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
4. रिंकी }

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 13.12.2022 उनवान मुकेश बनाम भूदेव मु0न0 61/22

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री रामबाबू मधुरेश उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 09.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 13.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के अपीलाण्ट के पिता रामकिशन 2 बीघा के, अप्रार्थी रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के पिता तेजा 11 बीघा 10 विस्वा के एवं तीसरे भाई पूरनचन्द 10 बीघा के खातेदार थे। मौके पर तीनो ने मनवट कर रखा था तथा उत्तर पश्चिम का 2 बीघा पर अपीलाण्ट के पिता रामकिशन एवं पूर्वी हिस्से पर 11 बीघा 10 विस्वा पर तेजा तथा बीच में 10 बीघा पर पूरनचन्द काश्त करता चला आ रहा है। हाल बन्दोबस्त से पूर्व उक्त नंबर का विभाजन कर राजस्व अभिलेख में अलग–अलग खाते कायम कर दिये गये। परन्तु नक्शें में कोई तरमीम नहीं हुयी। खसरा नम्बर 2580/1895 अप्रार्थी रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के पिता तेजा की खातेदारी मं 2581/1895 पूरनचन्द की खातेदारी में एवं 2582/1895 की खातेदारी अपीलाण्ट के पिता रामकिशन के नाम दर्ज हुई। हाल सैटलमेंट ने उक्त नम्बरान की खातेदारी 2115/1.86 है0 तेजा की 2116/0.32 है0 अपीलाण्ट की एवं खसरा नम्बर 2117 पूरनचन्द के नाम की है। परन्तु नक्शें में अपीलाण्ट की 2 बीघा पर तेजा के खसरा नम्बर 2115 दर्शायी एवं अपीलाण्ट की उसके कब्जे के विरूद्ध बीच हिस्से में दर्ज कर दी है। उक्त गलत तरमीम के आधार पर अप्रार्थी रैस्पो0 प्रार्थी अपीलांट की कब्जे वाली भूमि से बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2115 के स्थान पर अपीलाण्ट का साविक खसरा नम्बर 2582/1895 के अनुसार पश्चिम में कब्जा काश्त मौके पर मौजूद है तथा उसमें अपीलाण्ट का मैड पर ट्यूबैल लगा हुआ है तथा फसल खडी हुयी है। परन्तु असल रैस्पो0 को अपीलाण्ट की भूमि पर बन्दोबस्त विभाग के द्वारा हाल खसरा नम्बर 2116/0.32 है0 उसके कब्जे के स्थान के बजाय बीच में नक्शे में दर्ज कर दिया है, जो कि खिलाफ मौका है। भू प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को अपीलाण्ट की खातेदारी के साविक खसरा नम्बर 2582/1895 का हाल खसरा नम्बर 2116 उसके कब्जे काश्त के स्थान पर बनाना चाहिये था। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट भी तलव की है जिसमें खसरा नम्बर 2115 वाली जगह पर अपीलाण्ट का कब्जा होना दर्ज किया है व नजरी नक्शा में भी दर्शाया है। परन्तुं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया एवं ना ही प्रार्थना पत्र 212 के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओ का ही विवेचन किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मात्र दो लाईन का होने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कारण बोलता हुआ आदेश नहीं है। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018(2) पेज 1273, 2012(2) पेज 1023 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2115 को अपीलाण्ट ने दुर्भावना पूर्ण अपील में दर्ज किया गया है। जबकि उक्त खसरा नम्बर वादी अपीलाण्ट के वाद पत्र में अंकित नहीं है। अपीलाण्ट का उक्त खसरा नम्बर से कोई लेना देना नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। विवादित आराजी का रैस्पो0 के मध्य विभाजन भी हो चुका है, जो कि वर्तमान रिकार्ड में 2807/2115 रकवा 0.96 है0 एवं 2808/2115 रकवा 0.90 है0 दर्ज है। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 2115 पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं। जबकि उक्त खसरा नम्बर के रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। ट्यूबैल खसरा नम्बर 2183 में लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट तलव नहीं की गयी है एवं ना ही आदेशिका में कोई आदेश ही है। खसरा नम्बर 2115 में अन्तरिम आदेश का नोट गलत अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में मूलतः नक्शे में पक्षकारान के कब्जे अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शें में गलत तरमीम करने का विवाद है। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तय करते समय हम पाते हैं कि प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका/जॉच रिपार्ट तलव की गयी है। जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2116 के खातेदारान राजेन्द्र कुमार, मुकेशचन्द, वेदप्रकाश, दिनेशचन्द पिसरान रामकिशन जाति ब्राहम्ण का कब्जा काश्त आराजी खसरा नम्बर 2115 में बताया है, जो नवीन राजस्व रिकार्ड में भूदेवप्रसाद, दशरथपाल पिसरान तेजाराम जाति बागरी ब्राहम्ण की खातेदारी में दर्ज है। यदि कब्जे के आधार पर नक्शे में शुद्धि की जाती है तो तहसील कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जॉच/मौका रिपोर्ट को दरकिनार करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त जॉच रिपोर्ट के रहते प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में पुष्ट होता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं पर कोई विवेचना नहीं की गयी है, कि कैसे अपीलाण्ट/प्रार्थी अपने पक्ष में उक्त तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय बोलता हुआ (NON SPEAKING) होने से अपास्त योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 अपास्त किये जाकर ताफैसला मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वाद प्रतिवादी रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 2116/0.32 है0 की भूमि, जो कि खसर नम्बर 2115 के नक्शे में दर्शायी गयी है, के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी ना करें व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर